भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्याः 111
उत्तर देने की तारीखः 03.12.2024

अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण

***111. श्री दिनेश चंद्र यादवः**
श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अन्य पिछडा वर्ग आरक्षण के तहत क्रीमी लेयर के लिए आय की ऊपरी सीमा छह/आठ लाख रुपये तय की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सामान्य श्रेणी आरक्षण कोटा के तहत क्रीमी लेयर के लिए आय की ऊपरी सीमा छह/आठ लाख रुपये तय की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के आरक्षण कोटा के लिए निर्धारित मानदंडों में उक्त असमानता के क्या कारण हैं और इसका आधार क्या है; और

(घ) क्या सरकार का क्रीमी लेयर मानदंड में अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के आरक्षण में उक्त विसंगति को दूर करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण के संबंध में श्री दिनेश चंद्र यादव और श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 03.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 111 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) दोनों में क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए वार्षिक आय सीमा 8.00 लाख रुपये है। अतः, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटे के लिए निर्धारित आय मानदंडों में कोई असमानता नहीं है।

*****